



लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान, ग्वालियर
Lakshmbai National Institute of Physical Education, Gwalior

Deemed to be University, Ministry of Youth Affairs & Sports, Government of India
(Declared vide Govt. of India MHRD Notification NO. F.9-14/92-U.3 dated 21.09.1995
under section 3 of UGC Act, 1956)

क्र. Acad./205/2023-24/3848

दिनांक 21/3/2024

सेवा में,

श्री रामप्रकाश कतरौलिया,
सेवा निवृत्त जिला न्यायाधीश,
न्यू सुरेश नगर,
थाटीपुर, ग्वालियर (म.प्र.)
मोबाईल : 9826744963
ईमेल : ramprakashkatroliya@gmail.com

विषय : संस्थान “लोकपाल” नियुक्त करने बावत् ।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आपके दूरभाष पर प्रदाय सहमति के अनुसार आपको भारत का राजपत्र दिनांक 11.04.2023 के अन्तर्गत जारी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (छात्रों की शिकायत का निवारण) विनियम 2023 के परिपालन में संस्थान द्वारा “लोकपाल” के पद पर नियुक्त किया जाता है । आपकी नियुक्ति संस्थान की गठित छात्र शिकायत निवारण समिति (एसजीआरसी) के निर्णय के विरुद्ध यदि कोई अपील की जाती है, तो उन अपीलों को सुनने एवं उन पर निर्णय लेने हेतु की जाती है । उक्त नियुक्ति पद ग्रहण दिनांक से 03 वर्ष अथवा 70 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, इनमें से जो भी पहले हो, के लिये की जाती है ।

2. सुनवाई का संचालन करने के लिये आपको विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार प्रति दिन प्रति बैठक के आधार पर शुल्क का भुगतान किया जायेगा और इसके अतिरिक्त आपके यात्रा व्यय की प्रतिपूर्ति भी संस्थान के नियमानुसार की जावेगी ।

संलग्न : भारत का राजपत्र दिनांक 11.04.2023

भवदीय


(डॉ. संजीव यादव)
कुलसचिव प्रभारी
